संख्या : 441/2/0M&M Cell)2022-23 दिनांक : 23 जिल+ वर 2022

प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में एस०टी०पी० व इससे सम्बंधित मेन पिम्पंग स्टेशन, इण्टरमीडिएट पिम्पंग स्टेशन, सीवेज पिम्पंग स्टेशन, नाला—टैपिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा सीवरेज नेटवर्क के 10 वर्षीय दीर्घकालिक रख—रखाव, संचालन व प्रबन्धन कार्य (Package- 4 Lucknow Zone, Package- 6 Agra Zone, Package-8 Ghaziabad Zone, Package-5 Gorakhpur Zone) की दिनांक 24.08.2022 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

उत्तर प्रदेश में स्थापित एस०टी०पी० व इससे सम्बंधित मेन पिम्पंग स्टेशन, इण्टरमीडिएट पिम्पंग स्टेशन, सीवेज पिम्पंग स्टेशन, नाला—टैपिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा सीवरेज नेटवर्क के 10 वर्षीय दीर्घकालिक रख—रखाव, संचालन व प्रबन्धन कार्य (Package- 4 Lucknow Zone, Package- 6 Agra Zone, Package-8 Ghaziabad Zone, Package-5 Gorakhpur Zone) हेतु नगर विकास अनुभाग—5 के शासनादेश सं0—2319/नौ—5—2019— 394सा/2018 दिनांक 11.06.2019 द्वारा निविदा की स्वीकृति प्रदान की गयी थी, तदनुसार सम्बन्धित फर्मों के साथ अनुबन्ध सम्पादित किया गया। शासनादेश संख्या—849/नौ—9—19— 89ज/2001 दिनांक 18 जुलाई, 2019 द्वारा मूल बजट रू० 250.00 करोड़ एवं शासनादेश संख्या—2748/नौ—9—20—89ज/2001, दिनांक 30.12.2020 द्वारा पुनरीक्षित बजट रू० 350.00 करोड़ प्रतिवर्ष एस.टी. पी. के संचालन, अनुरक्षण एवं प्रबंधन की व्यवस्था की गयी हैं। उ०प्र० जल निगम को उक्त कार्य हेतु धनराशि स्वीकृत किए जाने पर निर्णय लेने हेतु नगर विकास अनुभाग—5 के शासनादेश सं0—504/नौ—5—2020—394सा/2018 दिनांक 03.02.2020 द्वारा समिति गठित की हैं।

समिति की बैठक प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग की अध्यक्षता में **दिनांक 24.08.2022 को अपरान्ह् 04:00 बजे** सम्पन्न हुई। बैठक में सदस्यों / उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि, जल कल विभाग. नगर निगम तथा उत्तर प्रदेश जल निगम के अधिकारियों ने प्रतिभाग किया।

्रप्रभारी सदस्य सचिव द्वारा समिति के समक्ष बैठक में एजेण्डा प्रस्तुत किया गया एवम् एजेण्डा के अनुसार बिन्दुवार प्रस्तुतीकरण किया गया। समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डावार संस्तुति निम्नवत् है:-

एजेण्डा	ओ०एम०एण्ड एम० सेल की संस्तुति अथवा प्रस्ताव/विवेचना	समिति द्वारा दिये गये
सं0		निर्देश
1/	ओ०एम०एण्ड एम० सेल द्वारा की गयी मूल संस्तुति के क्रम में अध्यक्ष महोदय की	समिति द्वारा धनावंटन की
गोरखपुर	अनुमति से मेसर्स तोशिबा वाटर सॉल्यूशन प्रा०लि० द्वारा अनुरोध करते हुये अवगत	संस्तुति तथा संबंधित को
	कराया कि अमृत कार्यक्रम के अन्तर्गत उ०प्र० जल निगम (नगरीय) के अनुबंधित	अनुबंध के अनुरूप एवम्
	फर्म द्वारा गोरखपुर नगर में रामगढ़ताल क्षेत्र के अन्तर्गत कार्य कराया जा रहा था	नियमानुसार कार्यवाही के
	जिस कारण से सीवर लाइन क्षतिग्रस्त हुयी जिससे 15 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0	निर्देश दिये गये
	पर श्राव नहीं पहुँचा जिस कारण 15 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० का संचालन कर	
	रही फर्म मेसर्स तोशिबा वाटर सॉल्यूशन प्रा०लि० का दिनांक 17.03.2022 से दिनांक	उक्त के अतिरिक्त अध्यक्ष
	31.03.2022 तक भुगतान नहीं किया गया। फर्म द्वारा अनुरोध किया गया कि उक्त	समिति द्वारा श्री राजवीर
	अवधि का भुगतान कर दिया जाए।	सिंह, मुख्य अभियन्ता,
	अध्यक्ष महोदय द्वारा उक्त पर मुख्य अभियन्ता (नागर) उ०प्र० जल निगम (नगरीय)	नगरीय निकाय
	लखनऊ से स्पष्टीकरण चाहा गया। मुख्य अभियन्ता (नागर) द्वारा अवगत कराया	निदेशालय, उ०प्र० को
	गया कि अमृत कार्यक्रम के अन्तर्गत गोरखपुर नगर में रामगढ़ताल क्षेत्र में मिट्टी	निर्देश दिये गये कि
	ऐसी है जिसमें मशीनरी के पलटने की सम्भावना रहती है जिस कारण से राइजिंग	गोरखपुर एवम् अयोध्या के
>	मेन्स् कार्य के दौरान मिट्टी फट गयी। मुख्य अभियन्ता (नागर) द्वारा यह भी अवगत	एस०टी०पी० का निरीक्षण

\$ 0

for

NOR An

एजेण्डा सं0		ओ०एम०एण्ड एम० सेत	न की संस्तुर्ग	ते अथवा प्र	गस्ताव / विवे	चना	समिति द्वारा दिये गये निर्देश
	करा	या गया कि सीवर लाइन क्ष	तिग्रस्त होने	में गलती न	तो मेसर्स व	तोशिबा वाटर	कर आख्या आगामी बैठक
	कार्य	यूशन प्राoलिo की ही और दायी फर्म की। अध्यक्ष महोद	में प्रस्तुत करें। साथ ही अध्यक्ष महोदय द्वारा 12				
		ंक 3.2022 से दिनांक 31.03 । तत्क्रम में ओ०एम०एण्ड एग			-		एम०एल०डी०, एस०टी० पी० अयोध्या में फीकल कॉलीफार्म के 30 बार फेल
	큙.					33 nd Payment	होने के संबंध में फर्म द्वारा
	स.	बिल का विवरण	March	Certificate /	Certificate /		पर अनुबंध का रात क
	1	पेमेन्ट सर्टिफिकेट/बिल के सापेक्ष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि	1432744.49	7471459.01	8060436.78	8948798.59	अनुसार कारण दर्शक नोटिस प्रेषित करने के निर्देश भी दिये गये।
	2	जी०एस०टी० (12 प्रतिशत)	171929.34	896575.08	967252.41	1073855.83	
	3	प्यूल चार्जेस (As per actual Certified by UPJN)	0.00	140430.00	352874.00	439805.00	
党	4	उ०प्र० जल निगम को देय सेन्टेज / सुपरवीजन चार्जेस (10%)	143274.45	747145.90	806043.68	894879.86	
	5	L,	17,47,948.28	92,55,609.99	1,01,86,606.87	1,13,57,339.28	
	6	उ०प्र० जल निगम को आवंटित की जाने वाली धनराशि	(GST 3		7,504.42 Centage 25,91	,343.89)	
	7	मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड के सापेक्ष माह जून—2022 तक लम्बित कुल धनराशि		3,37,70	0,319.65		
	8	आवंटित की जाने वाली धनराशि में से एस्क्रो एकाउंट में प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम द्वारा जमा की जाने वाली		2,68,46	6,547.87		
	9	धनराशि का विवरण अवशेष धनराशि जिस हेतु उ०प्र० जल निगम (नगरीय) द्वारा नोटिस जारी करके फर्म से जमा कराया जाना है (रु०)		69,23	,771.78		
2 / आगरा	तत्त्र	व्य में ओoएमoएण्ड एमo से	ल की संशोधि	त संस्तुति ।	निम्नवत् है:		समिति द्वारा धनावंटन की संस्तुति तथा संबंधित को अनुबंध के अनुरूप एवम्

the R





एजेण्डा सं0		ओ०एम०एण्ड एम० सेल की	संस्तु	ति अथव	। प्रस्ताव/	′विवेचन	T	समिति द्वारा दिये गये निर्देश	
VIO.	क्र. स.	पेमेन्ट सर्टिफिकेट/बिल का विवरण	Cert	Payment ificate / June, 22	32st Pay Certificat July, 2 (Ad l Paym	e / Bill- 2022 hoc		नियमानुसार कार्यवाही के निर्देश दिये गये उक्त के अतिरिक्त अध्यक्ष	
	1-	पेमेन्ट सर्टिफिकेट / बिल के सापेक्ष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि	2804	5298.51	208738	04.71		समिति द्वारा श्री राजवीर सिंह, मुख्य अभियन्ता, नगरीय निकाय	
	2-	जी.एस.टी. (12 प्रतिशत)	336	5435.82	25048	56.56		निदेशालय, उ०प्र० को निर्देश दिये गये कि	
	3-	प्यूल चार्जेस (As per actual certified by UPJN)	117	5212.00	0.0	0		आगरा स्थित 24 एम०एल०डी०, धांधूपुरा के	
	4-	उ०प्र० जल निगम को देय सेन्टेज / सुपरवीजन चार्जेस (10%)		4529.85	20873	80.47	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	एस०टी०पी० का निरीक्षण कर आख्या आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।	
	5	योग (1+2+3+4)	3,53,9	90,476.18	2,54,66,	041.74		4 xtgti 4/ti	
	6	उ०प्र० जल निगम को आवंटित की जाने वाली धनराशि	6	6,08,5	56,517.92	,			
	7	आवंटित की जाने वाली धनराशि में से एस्क्रो एकाउंट में प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र0 जल निगम द्वारा जमा की जाने वाली धनराशि का विवरण		1,29,5	96,484.39		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
3 / गाजिया बाद	ओं))एम0एण्ड एम0 सेल की संस्तुति निम्नवत क्र. पेमेन्ट सर्टिफिकेट/बिल का स. विवरण			30 th Pa Certifica May-2 0	ayment 31st Payment ate/ Bill- 222 (Rs.) Amount) (Ad hoc Payment)		ate / Bill- , 2022 hoc	समिति द्वारा धनावंटन की संस्तुति तथा संबंधित को अनुबंध के अनुरूप एवम् नियमानुसार कार्यवाही के निर्देश दिये गये।	
	1-	1- पेमेन्ट सर्टिफिकेट/बिल के सापेक्ष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि		18703	513.57	46869722.13		उक्त के अतिरिक्त अध्यक्ष	
	2-	2- जी.एस.टी. (12 प्रतिशत) 3- फ्यूल चार्जेस (As per actual Certified by UPJN) 4- उ०प्र० जल निगम को देय सेन्टेज / सुपरवीजन चार्जेस (10%)		22444	121.62	5624	366.66	समिति द्वारा श्री सौरभ	
	1			0.	.00	844544.00		श्रीवास्तव, अधिशासी अभियन्ता, ओ०एम० एण्ड	
	4-			18703	351.36 46869		972.21	एम0 सेल, नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र0 को	
	5-	योग (1+2+3+4)		2,28,18	3,286.55	5,80,2	5,605.00	निर्देश दिये गये कि बुलंदशहर एवम् मेरठ के	
		उ०प्र० जल निगम को आवंटित जाने वाली धनराशि	न की		8,08,43,891.55			एस0टी0पी0 का निरीक्षण	
	7-	आवंटित की जाने वाली धनरा से एस्क्रो एकाउंट में प्रबन्ध निदे उ०प्र0 जल निगम द्वारा जम जाने वाली धनराशि का विवरण	शिक, ाकी		65,65,8	92.99		में प्रस्तुत करें।	

D

4)

the

er sty w

NOW DA

एजेण्डा सं0	3	गो०एम०एण्ड एम०	सेल की र	नंस्तुति अथवा प्र	ास्ताव / विवेचना	समिति द्वारा दिये गये निर्देश
4 / লखनऊ	ओ०एम०ए अनुमति र का बिल है। फर्म करने का तत्क्रम में क्र.	22 संस्तुति तथा संबंधित को या अनुबंध के अनुरूप एवम् नियमानुसार कार्यवाही के				
	बिर अव वार	ामुक्त की जाने त्री धनराशि				
<	3 प्यू act	.एस.टी. (12%) ल चार्जेस (As per ual Certified by JN)	1141274.0			
	4 उ० देय सुप	प्रo जल निगम को सेंटेज/ रवीजन चार्जेस)%)	6438314.1	3 6374477.47	5306393.42	
	5 য 6 ড0 आ	ोग (1+2+3+4) प्र0 जल निगम को वंटित की जाने नी धनराशि		39 7,82,62,476.13 22,40,11,140.2		
	धन एक निवे निग	ंटित की जाने वाली राशि में से एस्क्रो ाउंट में प्रबन्ध शक, उ०प्र० जल ाम द्वारा जमा की ने वाली धनराशि का		1,94,27,735.3	8	
(v), (vi), (vii) एवं (viii)	ओ०एम०एण्ड एम० सेल की संस्तुति क्र ०सं० जीन का ना म			नवत् है:- ावंटित की जाने	समिति द्वारा धनावंटन की संस्तुति तथा संबंधित को	
(VIII)	1 1 2	2 आगरा जो गाजियाबाद	जोन 📗	3 1,96,11,3 1,66,65,1	25.83	अनुबंध के अनुरूप एवम् नियमानुसार कार्यवाही के निर्देश दिये गये।
	3	गोरखपुर ज लखनऊ ज महायोग		41,98,1 6,41,44,9 10,46,19 ,	940.00	13.00.133, 3.71

ies set

AN YOU AN

एजेण्डा सं0	ओ०एम०एण्ड एम० सेल की संस्तुति अथवा प्रस्ताव/विवेचना	समिति द्वारा दिये गये निर्देश
	ओ०एम०एण्ड एम० सेल द्वारा एजेण्डा i से viii तक की संकलित संस्तुति संलग्न है (संलग्नक—1)।	
ix	उक्त के अनुसार उ०प्र० जल निगम को अनुबंध की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की दर से सेन्टेज का भुगतान किये जाने के संबंध में समिति सुविचारित निर्णय लेना चाहें।	समयभाव के कारण निर्देश दिये गये कि आगार्म बैठक में पुनः प्रस्तुत किय जाए।
X	सदस्य सचिव / मुख्य अभियन्ता (ओ०एम०एण्ड एम० सेल) द्वारा इस क्रम में अवगत कराया कि उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपने पत्र संख्या—STP/CL/235/2020-21 दिनांक 05.04.2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रदेश में उ०प्र० नियंत्रण बोर्ड की कुल 07 प्रयोगशालायें (बिजनौर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, कानपुर, रायबरेली, प्रयागराज व वाराणसी) accredited हैं। अतः श्रीराम इंस्टिट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल, नई दिल्ली जोकि एक प्राइवेट संस्था है एवम् उसके द्वारा ओ०एम०एण्ड एम० सेल द्वारा टेस्ट रिपोर्ट के संदर्भ में उठाये गये बिन्दुओं पर दिये गये असंतोषजनक उत्तर देने एवम् रामपुर के Non Functional STP का भी Treated Effluent की परीक्षण रिपोर्ट प्रेषित करने को दृष्टिगत करते हुये उचित होगा कि अनुबंध की Section-IV, Volume-I की क्लॉज संख्या—39.4 में दिये गये शर्त के अनुसार श्रीराम इंस्टिट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल के स्थान पर मात्र उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की उक्त 07 NABL accredited प्रयोगशाला (Laboratory) एवम् / अथवा CSIR IITR, Lucknow जोकि एक सरकारी संस्था है से ट्रीटेड सीवेज के विभिन्न पैरामीटर्स का परीक्षण कराया जाय। उक्त प्रस्ताव समिति के निर्णय हेतु प्रस्तुत है।	समिति द्वारा निर्देश दिये गये कि थर्ड पार्टी हेतु वर्तमान में चालू व्यवस्था को बनाये रखा जाये उक्त के अतिरिक्त यह भी निर्देश दिये गये कि श्रीराम् इंस्टिट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्ज के साथ एक बैठक कर उनके द्वारा दी जा रही रिपोर्ट के बारे में अवगत कराते हुये तकनीकी परिचर्चा कर समिति के वस्तुस्थिति से अवगत
xi	परियोजना निदेशक, एस०एम०सी०जी०—यू०पी० के पत्र संख्या—०९ / एस०एम० सी०जी० / 0358 / 01 दिनांक 01.01.2020 के क्रम संख्या—6 (Cost of testing of effluent samples) पर समिति के समक्ष प्रस्ताव निर्णय हेतु प्रस्तुत है।	समिति द्वारा Status Quo रखने के निर्देश दिये गयें
xii	सदस्य सचिव / मुख्य अभियन्ता, ओ०एम०एण्ड एम० सेल द्वारा अवगत कराया गया कि गाजियाबाद शहर के सीवरेज कार्य के रखरखाव में सम्पूर्ण सीवर नेटवर्क का कार्य फर्म को एक बार में हस्तगत नहीं कराया गया था। सीवर नेटवर्क के रखरखाव हेतु सीवर लाइन को अलग—अलग फेज में फर्म को हस्तांरित किया गया था। इस सम्बन्ध में अनुबंध के Volume-I के Section-IV "Conditions of Contract" के क्लॉज—21.1 में निम्नानुसार व्याख्या की गयी है परन्तु सीवर लाइन हैण्ड ओवर के संबंध में व्याख्या नहीं है:— "In Case, any particular STP of zone is not handed over to contractor on date of signing of the agreement due to any reason, contract value shall be reduced of particular STP by an amount as distributed among the STPs of zone as per Condition of Contract, Section-IV, Clause 39 (I) payment certificates". यदि सीवर लाइन के सम्बन्ध में उक्त व्याख्या लागू की जाती है तो उक्त धनराशि रू० 1,60,88,207.82 की अधिक कटौती को फर्म को भुगतान करने की कार्यवाही की जा सकती है।	समिति द्वारा श्री राजवीर सिंह, मुख्य अभियन्ता नगरीय निकार निदेशालय को निर्देश दिरे गये कि प्राप्त प्रस्ताव क परीक्षण कर आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाए।
xiii	सदस्य सचिव / मुख्य अभियन्ता—ओ०एम०एण्ड एम० सेल द्वारा अवगत कराया गया गया कि कोविड—19 के फलस्वरूप समिति द्वारा दिनांक 27.11.2020 की बैठक में 67 दिनों का Extension प्रदान किया जा चुका है एवं लखनऊ नगर हेतु उ०प्र० जल निगम की संस्तुति उपरान्त प्राप्त प्रस्ताव पर भुगतान भी किया जा चुका है। उक्त के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा जारी आदेश दिनांक 31.03.2023 तक ही प्रभावी है। उपरोक्त परिपेक्ष्य में Performance Security Reduce करने पर समिति के समक्ष सुविचारित निर्णय लेने हेतु प्रस्तुत है।	गये कि समिति की दिनांक 27.11.2020 की पूर्व सम्पन्न बैठक मे





एजेण्डा सं0	ओ०एम०एण्ड एम० सेल की संस्तुति अथवा प्रस्ताव/विवेचना	समिति द्वारा दिये गये निर्देश
		क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम— नगरीय (लखनऊ पैकेज को छोड़कर) अपनी
		सुस्पष्ट संस्तुति सहित लम्बित आख्या दो सप्ताह में ओ०एम०एण्ड एम० सेल
		को उपलब्ध करायें।
xiv	वन सिटी वन ऑपरेटर योजना के अन्तर्गत गठित अनुबंध के सेक्शन 6 के क्लॉज 6.6 में निम्न प्राविधान किया गया है:— (SMCG-UP shall release 75% (Seventy five percent) of Contractor's monthly Statement/Bill within 7 days which has been duly certified, authenticated, verified and submitted by Engineer to Employer. The balance amount of Contractor's monthly Statement/Bill shall be released and settled after due checking, on committee recommendation and taking into account any credit or debit for the month in question in due time). मुख्य अभियन्ता / सदस्य सचिव, ओ०एम०एण्ड एम० सेल द्वारा अवगत कराया गया कि उपरोक्त परिस्थिति में उ०प्र० जल निगम को अनुबंध की मासिक धनराशि का 75 प्रतिशत एडवांस करने पर समिति सुविचारित निर्णय लेना चाहें। ऐसी स्थिति में ओ०एम०एण्ड एम० सेल को मासिक बिल प्राप्त होने की दशा में मुख्य अभियन्ता, ओ०एम०एण्ड एम० सेल / सदस्य सचिव द्वारा उ०प्र० जल निगम को Adhoc Payment करने के निर्देश प्रसारित करने के उपरान्त उ०प्र० जल निगम द्वारा सम्बन्धित फर्म को Adhoc Payment की कार्यवाही पूर्ण की जायेगी। उपरोक्त procedure पर भी समिति सुविचारित निर्णय लेना चाहें। बैठक में विचार—विमर्श करते हुये यह मत स्थिर हुआ कि अनुबंध में यह धारा संबंधित फर्म के कैश पलो को मेंन्टेन करने के लिए प्राविधानित है। ओ०एम०एण्ड एम० सेल द्वारा अग्रेतर अवगत कराया गया कि अनुबंध में भी प्रत्येक माह के अंत से 35 कार्यदिवस के अन्दर भुगतान हेतु प्राविधान है। चूंकि कमेटी की बैठक प्रत्येक माह के चतुर्थ बुधवार को आहूत की जानी है ऐसे में समिति ने भुगतान प्रक्रिया में सुधारात्मक कार्यवाही करने पर ओ०एम०एण्ड एम० सेल से आख्या चाही। ओ०एम०एण्ड एम० सेल देश पर तो परतुत किया:—	समिति द्वारा Timeline fix करते हुये निर्देशित किया गया कि फर्म द्वारा बिल प्राप्त होने के 14 दिनों के अन्दर संबंधित उ०प्र० जल निगम / जलकल / अधिशासी अधिकारी बिल को सत्यापित कर ओ०एम०एण्ड एम० सेल को प्रेषित करें। प्रत्येक बैठक के सात कार्य दिवस से पहले ओ०एम०एण्ड एम० सेल निगम (नगरीय) से प्राप्त बिलों का परीक्षण ओ०एम०एण्ड एम० सेल द्वारा करके समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। साथ ही यह भी निर्देश दिये गये कि बैठक का कार्यवृत्त जारी होने के 04 कार्य दिवस के अन्दर भुगतान निदेशालय द्वारा उ०प्र० जल निगम को कर दिया जाए। उक्त के
		अतिरिक्त यह भी निर्देश अतिरिक्त यह भी निर्देश दिये गये कि निदेशालय से भुगतान आदेश के उपरान्त फर्म तक भुगतान की कार्यवाही 08 कार्य

80

IN Who An

एजेण्डा सं0	ओ०एम०एण्ड एम० सेल की संस्तुति अथवा प्रस्ताव/विवेचना	समिति द्वारा दिये गये निर्देश
	Bills Received at UPJN/Jal Kal OM&M Cells (all bills received 7 days prior meeting to be put up) 14 working days No GO MoM issued ASAP OM&M Cells (all bills received 7 days prior meeting to be put up) 4 working days	दिवस में उ०प्र० जल निगम—नगरीय द्वारा पूर्ण कर ली जाए। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि समिति की बैठक के कार्यवृत्त जारी होने के उपरान्त, नगर विकास विभाग से प्रत्येक बार शासनादेश ना कराके सीधे निदेशालय, नगरीय निकाय से धनावंटन
		उ०प्र० जल निगम (नगरीय) को कर दिया जाये।
XV	सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया है समस्त फर्मों द्वारा मेजर रिप्लेसमन्ट फण्ड के सापेक्ष एस्क्रो एकाउंट में रु० 7.00 करोड़ वार्षिक (प्रति माह बराबर धनराशि) जमा किया जाना अनुबंध के सेक्शन—3, क्लॉज संख्या—2.3(a) के अनुसार किया जाना है परन्तु मेसर्स तोशिबा वॉटर सॉल्यूशन प्राठलिठ द्वारा प्रारंभ से ही एस्क्रो एकाउंट में धनराशि जमा नहीं किये जाने के कारण फर्म के देयकों से 100 प्रतिशत कटौती करनी पड़ी जिससे Back-log पूरा किया जा सके।	समिति द्वारा निर्देश दिये गये कि इस प्रकरण पर राजकीय कोष में वित्तीय क्षति संबंधी वित्तीय एवं विधिक परामर्श प्राप्त कर लिया जाए।
xvi	सदस्य सचिव—मुख्य अभियन्ता, ओ०एम०एण्ड एम० सेल द्वारा मुख्य अभियन्ता (लखनऊ क्षेत्र) उ०प्र० जल निगम (नगरीय) द्वारा पत्र संख्या—742 / कार्य—45 / 148 दिनांक 22.07.2022 के माध्यम से प्रेषित रु० 4066915.00 (रु० चालीस लाख ियासठ हजार नौ सौ पन्द्रह मात्र) को अवमुक्त किये जाने हेतु समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्ताव प्रस्तुत है।	समिति द्वारा निर्देश दिये गये कि ओ०एम०एण्ड एम० सेल प्रस्ताव प्रस्तुत करे।
(xvii-i)	अध्यक्ष महोदय द्वारा ओ०एम०एण्ड एम० सेल से cost recovery एवं Revenue Generation के संबंध में अनुबंध में निहित शर्तों के सापेक्ष जानकारी चाही गयी। ओ०एम०एण्ड एम० सेल द्वारा अवगत कराया गया कि अनुबंध के सेक्शन—II के क्लॉज 2.1 में निम्न प्राविधान हैं:— Opportunities for Integrated Resource Management shall be implemented by the Company to the greatest extent that is feasible from economic, engineering, environmental, and/or social standpoints. उक्त के क्रम में ओ०एम०एण्ड एम० सेल द्वारा अवगत कराया गया कि अनुबंध में उपरोक्त क्लॉज के क्रम में अनुबंध में विभिन्न उदहारण जैसेकि एस०टी०पी० पर स्लज से उर्वक बनाने का कार्य, renewable पावर जनरेशन का कार्य, conferences / training कराये जाने के प्राविधान हैं।	समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निम्न निर्देश विचारोपरान्त निम्न निर्देश दिये गये:— एस०टी०पी० में उत्पन्न स्लज को उर्वरक के रूप में इस्तेमाल कर scientific अध्ययन करने के निर्देश दिये गये। उर्वरक क्षेत्र में कार्यरत सरकारी उद्यमों / प्राइवेट कम्पनीयों से सम्पर्क कर cost recovery का माँडल बनायें।
		recommended on the t

Q \$

for Dr. An

7

एजेण्डा सं0	ओ०एम०एण्ड एम० सेल की संस्तुति अथवा प्रस्ताव/विवेचना	समिति द्वारा दिये गये निर्देश
		विभिन्न एस०टी०पी० पर खाली पड़ी भूमि में
		Horticulture जिससे
		Revenue Generation की
		सम्भावना हो, पर विचार
		करें। विशेष रूप से
		Medicinal Herbs / Locally
		demanded herbs का प्रयोग
		करें। यदि आवश्यकता हो
		तो एस०टी०पी० पर
	6	उत्पन्न होने वाली स्लज
		का इस्तेमाल भी करें व
		अध्ययन करे कि बिना
		स्लज एवं स्लज के साथ
		Produce की क्वालीटी एवं
		क्वांटिटी पर क्या फर्क
4		पड़ा।
		एस०टी०पी० व
		एस०पी०एस० की साइट
		पर सोलर पैनल लगा कर
		विद्युत उत्पादन करें
		जिससे की विद्युत व्यय में
		कमी आ सके। साथ ही
		श्री राजवीर सिंह, मुख्य
		अभियन्ता, नगरीय निकाय
		निदेशालय, उ०प्र० को
		निर्देश दिये गये की
		बिजली विभाग द्वारा Open
		Source Policy लागू की
		गयी है, जिससे की
		Excess विद्युत उत्पादन से
		आमदनी भी की जा
		सकती है, का अध्ययन
		कर अगली बैठक में
		प्रस्तुत करें। निदेशक
		महोदया द्वारा Power
		Factor में सुधार हेतु फर्मों को निर्देश दिये गये।
		का । नदरा । दय गय।

60) 8

AN Was Du

एजेण्डा सं0	ओ०एम०एण्ड एम० सेल की संस्तुति अथवा प्रस्ताव/विवेचना	समिति द्वारा दिये गये निर्देश
F.;;		जिन एस0टी0पी0 पर Polishing ponds है, वहां पर District Fisheries
		Officer के तकनीकी सहयोग से मत्सय पालन
		का Pilot Project भी करें। Pilot Project की Report समिति के समक्ष विभिन्न
		बिन्दुओं पर प्रस्तुत करें।
		Engineering Students/Water Sector related Professionals/ Environmental & Sustainable growth related Professional 动
		साथ Training Program / Internship Program / Exposure visit भी कराये। इस सम्बन्ध में अग्रेतर
42		निर्देश दिये गये कि
		Schedule, Safety Protocol एवं अन्य Protocol निर्धारित कर शीघ्र प्रस्तुत करें। इसके अतिरिक्त फर्म को Media Outreach के
		विशेष प्रयास करने के निर्देश दिये गये।
		Exposure visit हेतु 2 nd October, 2022 से समस्त
		Protocol एवं Schedule के साथ प्रारंभ करने के
		निर्देश दिये। उक्त के अतिरिक्त फर्मों से
		उपरोक्त Training Program / Internship Program / Exposure visit हेतु Online Registration
		की व्यवस्था लागू कराने के निर्देश दिये गये।

8/ A

for NOR An

9

एजेण्डा सं0	ओ०एम०एण्ड एम० सेल की संस्तुति अथवा प्रस्ताव/विवेचना	समिति द्वारा दिये गये निर्देश
(xvii-ii)	मेसर्स तोशिबा वॉटर सॉल्यूशन प्राoलिo द्वारा अनुरोध किया गया कि 15 एमoएलoडीo गोरखपुर एसoटीoपीo परिसर में ही फास्फोरस रिमूवल प्लान्ट निर्मित है जिसके रखरखाव हेतु प्रतिवर्ष रू० 87.17 लाख का आगणन उ०प्र० जल निगम—नगरीय के (पीoपीoआरबीoडीo सेल) से अप्रेजल के उपरान्त दिनांक 18.08.2022 को ओoएमoएण्ड एमo सेल को प्रेषित किया गया है। फर्म द्वारा Variation हेतु अनुमोदन मांगा गया।	अध्यक्ष समिति द्वारा निर्देश विये गये कि ओ०एम०एण एम० सेल, नगरीय निकान निदेशालय द्वारा स्थली निरीक्षण कर प्रस्ताव व औचित्य एवम् आवश्यकत का परीक्षण कर प्रस्ताव पुनः प्रस्तुत करें। साथ है स्थलीय निरीक्षण कर प्राप्ता पुनः प्रस्तुत करें। साथ है स्थलीय निरीक्षण कर प्राप्ता पुनः प्रस्तुत करें। साथ है स्थलीय निरीक्षण कर प्राप्ता पुनः प्रस्तुत करें। टीन दयाल विश्वविद्यालय / Engineering Colleg से परामर्श ले कर आख्य प्रस्तुत करें।
(xvii- iii)	मेसर्स वी०ए०टेक वाबाग, गाजियाबाद के परियोजना प्रबन्धक द्वारा अवगत कराया गया कि अनूपशहर स्थित एस०टी०पी० का संचालन डीजल के उपयोग से एस०टी०पी० संचालन के सम्बन्ध में अवगत कराया गया एवम् विद्युत विभाग से विद्युत कनेक्शन की कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया।	अध्यक्ष समिति द्वार निदेशक, नगरीय निकार निदेशालय से विद्युत विभाग से सम्पर्क कर प्रकरण का निस्तारण करने के निर्देश दिये गये साथ ही फर्म को निर्देश दिये गये कि सोलर पैनल लगाने की कार्यवाही पर विचार करते हुरे नियमानुसार कार्यवाह
(xvii-iv)	गाजियाबाद पैकेज—8 के परियोजना प्रबन्धक, श्री रजनीश सिंह द्वारा अवगत कराया गया कि रामपुर में सीवर समस्या होने के कारण 3 नग एसoटीoपीo पर श्राव प्राप्त नहीं हो रहा है जिसके निराकरण अथवा पैकेज—8 के अनुबंध से रामपुर के एसoटीoपीo व तत्संबंधी परिसम्पत्तियों को कम करने हेतु अनुरोध किया गया।	अध्यक्ष समिति द्वारा गाजियाबाद पैकंज—8 हेतु जिस एस०टी०पी० यथाः रामपुर एस०टी०पी० पर सीवर के ना चलने के कारण से एस०टी०पी० पर फ्लो नहीं पहुँच रहा है, उन एस०टी०पी० से सम्बन्धित Conveyance System के सुधार हेतु अध्ययन एवं समस्या के चिन्हांकन व इसके

एजेण्डा सं0	ओ०एम०एण्ड एम० सेल की संस्तुति अथवा प्रस्ताव/विवेचना	समिति द्वारा दिये गये निर्देश
		समाधान किये जाने हेतु इं० एच०के० कंसल, मुख्य अभियन्ता, उ०प्र० जल
		निगम— नगरीय को आगामी बैठक में आख्या सहित प्रतिभाग करने के
		निर्देश दिये गये।
(xvii-v)	अध्यक्ष महोदय समिति द्वारा ओ०एम०एण्ड एम० सेल से जानकारी चाही गयी	अध्यक्ष समिति द्वारा
	कि वन सिटी वन ऑपरेटर के कारण पूर्वत व्यवस्था के सापेक्ष impact के सबंध में जानकारी चाही गयी।	ओ०एम०एण्ड एम० सेल को निर्देशित किया गया
	ओ०एम०एण्ड एम० सेल द्वारा अवगत कराया गया कि इस संबंध में तुलनात्मक अध्ययन करने की आवश्यकता है जिसमें वन सिटी वन ऑपरेटर लागू होने से	कि वन सिटी वन ऑपरेटर योजना से पूर्व व वन सिटी वन
	पूर्व की सूचनायें फील्ड स्तर से प्राप्त कर तुलनात्मक अध्ययन करने की आवश्यकता है।	व वन सिटी वन ऑपरेटर के पश्चात् कराये जा रहे कार्यों का
		तुलनात्मक अध्ययन कर आगामी बैठक में प्रस्तुत
		करें।
(xvii-vi)	अध्यक्ष महोदय द्वारा फर्मों द्वारा कार्यों के प्रभावी अनुश्रवण हेतु लगाये गये	अध्यक्ष समिति द्वारा
	मैनपावर के संबंध में जानकारी चाही गयी जिसके संबंध में फर्मों द्वारा अवगत	फर्मों को निर्देश दिये
	कराया गया कि सूची पूर्व में प्रेषित है जिसकी पुष्टि ओ०एम०एण्ड एम० सेल	गये कि फर्मी द्वारा
	द्वारा की गयी।	लगाये गये
		कर्मचारियों / कर्मियों के
		विवरण की सूची
		संबंधित को उपलब्ध
		कराते हुये इसकी Real-
		Time अनुश्रवण की
,		व्यवस्था बनाये।
(xvii- vii)	ओ०एम०एण्ड एम० सेल द्वारा अवगत कराया गया कि विभिन्न एस०टी०पी० में	इं0 डी0पी0 सिंह की कमेटी द्वारा न्यूनतम
VII)	फीकल कॉलीफार्म के असफलता की आवृत्ति अधिकतम है एवं उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की प्रतिनिधि द्वारा भी इस संबंध में चिंता जाहिर की गयी।	व्यय में मानक के
	ओ०एम०एण्ड एम० सेल द्वारा अवगत कराया गया कि इं० डी०पी० सिंह की	अनुरूप फीकल
	कमेटी द्वारा फीकल कॉलीफार्म न्यूनतम व्यय में फीकल कॉलीफार्म मानक	कॉलीफार्म प्राप्त करने
	अनुरूप प्राप्त करने हेतु डिजाईन पूर्व में प्रेषित की जा चुकी है।	हेतु आवश्यक
	Signa and and editional fact and an an an and	नियमानुसार कार्यवाही
		हेतु निर्देश दिये गये।
	N .	

NOS AU



अन्त में अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि समस्त संबंधी शासनादेशों, अनुबंध की शर्तों का अनुपालन किया जाए तथा प्रभावी अनुश्रवण हेतु उ०प्र० जल निगम/जलकल विभाग द्वारा सीवर कार्यों का एवं एस0टी0पी0/पम्पिंग स्टेशन का निरीक्षण कर निरीक्षण आख्या प्रत्येक बिल के साथ प्रस्तुत किया जाए।

X/

सदस्य—सचिव उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयत) अभियन्त्रण सेवा, उत्तर प्रदेश a

सदस्य उप/सहायक निदेशक, लेखा, नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ An.

सदस्य सदस्य–सचिव उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ

संदस्य निदेशक नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ सदस्य प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (नगरीय) लखनऊ

अध्यक्ष प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग

संलग्नक:-1 ओ०एम० एण्ड एम० सेल द्वारा एजेण्डा । से viii तक की संकलित संस्तुति निम्नवत् है:-

क्र.	पेमेन्ट सर्टिफिकेट/	गोरखपुर	आगरा	गाजियाबाद जोन	लखनऊ जोन	कुल
स.	बिल का विवरण	जोन	जोन			7
1	2	3	4	5	6	/
1	पेमेन्ट सर्टिफिकेट/ बिल के सापेक्ष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि	2,59,13,438.87	48919103.22	65573235.70	18,11,91,850.20	32,15,97,627.99
2	जी.एस.टी. (12%)	3109612.66	5870292.38	7868788.28	2,17,43,022.02	3,85,91,715.340
3	प्यूल चार्जेस (As per actual Certified by UPJN)	933109.00	1175212.00	844544.00	29,57,083.00	59,09,948.000
4	उ०प्र० जल निगम को देय सेंटेज / सुपरवीजन चार्जेस (10%)	2591343.89	4891910.32	6557323.57	1,81,19,185.02	3,21,59,762.800
5	योग (1+2+3+4)	3,25,47,504.42	6,08,56,517.92	8,08,43,891.55	22,40,11,140.24	39,82,59,054.13
6	आवंटित की जाने वाली धनराशि में से एस्क्री एकाउंट में प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम द्वारा जमा की जाने वाली धनराशि का विवरण	3,37,70,319.65	1,29,96,484.39	65,65,892.99	1,94,27,735.38	7,27,60,432.41
7	अवशेष धनराशि जिस हेतु प्र0नि0 द्वारा नोटिस जारी करके फर्म से जमा कराया जाना है (रु0)	69,23,771.78				69,23,771.78
8	विद्युत बिल	41,98,115.50	1,96,11,342.51	1,66,65,125.83	6,41,44,940.00	10,46,19,523.84
9	उ०प्र0 जल निगम को अवमुक्त की जाने वाली कुल धनराशि (5+7)	3,67,45,619.92	8,04,67,860.43	9,75,09,017.38	28,81,56,080.24	50,28,78,577.97

